

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1359-63

दिनांक:- 14/02/2025

परिपत्र

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 5 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार फोरेन एण्ड गुड स्टैन्डिंग सर्टिफिकेट में आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन (जो अभ्यर्थी भारत में निवास/कार्यरत है तो भारतीय पुलिस सत्यापन तथा जो अभ्यर्थी भारत के बाहर निवास/कार्यरत है तो स्थानीय पुलिस का सत्यापन) कम से कम 06 माह से पूर्व का नहीं हो, जिसे आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1359-63

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1349-53

दिनांक:- 14/02/25

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 21 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा फोरेन वेरिफिकेशन या पंजीयन के संबंध में सत्यापन करने हेतु आवेदन करते हैं तो ऐसे प्रकरणों पर ऑफलाईन/ऑनलाईन माध्यम से शुल्क प्राप्त कर वर्तमान तकनीकी परिस्थितियों के कारण ऑफलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पूर्ण आवश्यक कार्यवाही किया जाना तथा ऐसे सत्यापन प्रकरणों में "माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में पंजीयन सत्यापन" का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1349-53

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1354-58

दिनांक:- 14/02/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 6 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का अन्य राज्य को भेजे जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके प्रोफाई में पीडीएफ प्रिन्ट के स्थान पर कौंसिल द्वारा जारी एनओसी का पत्रांक व दिनांक तथा कौंसिल का नाम अंकित लिया जाना है, जो अभ्यर्थी की प्रोफाईल पासवर्ड द्वारा संरक्षित होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1354-58

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1338-43

दिनांक:- 14-02-2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के एजेन्डा संख्या 19 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय में {Nurse Practitioner in Midwifery (NPM) Program} 18 माह से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) निर्धारित की जाती है।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1338-43

दिनांक:- 14-02-2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. लेखा अनुभाग को सूचनार्थ।
4. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1344-48

दिनांक:- 14/02/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 20 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार कौंसिल द्वारा अभ्यर्थी को अन्य राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं अभ्यर्थी द्वारा संबंधित अन्य राज्य में पंजीयन नहीं कराया जाता है तो अन्य राज्य में पंजीयन नहीं होने की पुष्टि होने के पश्चात अभ्यर्थी का राजस्थान राज्य का पंजीयन यथावत रखा जायेगा। जिसके क्रम में अभ्यर्थी से न्यूनतम 100/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करवाकर लिया जायेगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1344-48

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर